29/7/25 पत्रावली पेश हुई। वादीगण की ओर
से प्रार्थना पत्र O22R1 CPC पेश किया गया।
वादी सं. 1,3,4 उपस्थित। वादीगण, पश्चात
अधिवक्ता ग्यारसीलाल Adv. द्वारा की गई।
वादीगण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया
कि उक्त वाद पेश करते समय सहवन से
कुछ पक्षकार बनाने से रह गये। इसलिए
उक्त वाद को [illegible] कर नये वाद प्रस्तुत कि[illegible]
जाने की [illegible] की गई तथा वादिया
सं. 2 की मृत्यु हो चुकी है। इसलिए वादी
सं. 1,3,4 को सुना गया। पत्रावली का

आ.पी.
मोरे
पश्चातकर्ता
(ग्यारसीलालएड.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2025.08.05 11:23:04 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	अवलोकन किया गया। अतः वादीगण इसी स्टेज पर विड्रो कर नये वाद प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है। पत्रावली इसी स्टेज विड्रो कर खारिज की जाती है। पत्रावली नतीजा दे मुन्तजिम होकर दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2025.08.05 11:23:04 IST
Reason: SelfAttested